PROSPECTUS

विवरणिका

2022-23

कुमाऊँ केसरी पण्डित बद्रीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर

सम्बद्ध–

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

स्थापना : 22 अक्टूबर, 1974

E-mail : gpgcbageshwar@yahoo.co.in

Admission Link: https://admission.gpgcbageshwar.org/

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर

प्रिय छात्र/छात्राओं,

नये शैक्षणिक सत्र 2022–2023 में आपका समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत ।

शैलराज हिमालय की गोद में सरयू एवं गोमती के पावन संगम पर अवस्थित कुमाऊँ की काशी के नाम से विख्यात पौराणिक एवं ऐतिहासिक भगवान व्याघ्रेश्वर की तपोभूमि बागेश्वर अलौकिक सुरम्य एवं सुप्रसिद्ध तीर्थ के रूप में धार्मिक श्रद्धा, आस्था और विश्वास का केन्द्र रहा है।

पावन सलिला सरयू के तट पर अवस्थित कुमाऊँ केसरी पंडित बद्रीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर की स्थापना 22 अक्टूबर 1974 में हुई। 7 हेक्टेयर भूमि में विस्तृत यह महाविद्यालय शान्ति एवं सौन्दर्य से परिपूर्ण स्थली होने से उच्च शिक्षा हेतु उत्कृष्ट परिवेश उत्पन्न करता है। सुदूर क्षेत्रों से आये हुये छात्र–छात्राओं के अध्ययन के साथ–साथ उनके सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय कृत संकल्प है। सत्र 2022–2023 हेतु प्रकाशित की जा रही विवरणिका में महाविद्यालय के समस्त संकायों में पढ़ाये जा रहे विषयों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों आदि का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

बहुत हर्ष का विषय है कि इस वर्ष से महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 की नीतियों का क्रियान्वयन करते हुए व्यापक और बहु–विषयक समग्र शिक्षा को लागू किया जा रहा है। जिससे छात्रों में नैतिकता, एकता , अखंडता और जीवन कौशलता का विकास हो सकें।

महाविद्यालय निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है तथा जनवरी 2021 में महाविद्यालय को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का परिसर घोषित किया गया है, जिससे भविष्य में उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में यह परिसर नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करेगा ऐसी मेरी अभिलाषा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा 'बी' श्रेणी से अलंकृत यह महाविद्यालय निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सतत् विकासमान है।

मेरी हार्दिक शुभकामना है कि यह महाविद्यालय अध्ययन, अध्यापन, शोधकार्य एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों आदि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभायेगा। छात्र–छात्राऐं नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें ताकि वे अध्ययन तथा पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में सराहनीय प्रदर्शन कर सकें।

मैं विवरणिका 2022–2023 के प्रकाशन हेतु सम्पादन समिति को साधुवाद व बधाई देता हूँ।

शुभमस्तु।

(डॉ0 एस.एस. धपोला)
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बागेश्वर

कुमाऊँ केसरी पण्डित बद्रीदत्त पाण्डे

कुमाऊँ के राष्ट्रवादी आन्दोलन के अप्रतिम महान जननायक पं0 बद्रीदत्त पाण्डे ने प्रखर आन्दोलनकारी, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, क्रान्तिकारी, समाज सुधारक, आक्रामक व राष्ट्रवादी पत्रकार, निर्भीक सम्पादक, सफल इतिहासकार, प्रभावकारी व स्पष्ट वक्ता व महान संसदीय राजनीतिक के रूप में अपने ओजस्वी व्यक्तित्व व असाधारण सामाजिक–राजनीतिक सक्रियता से कुमाऊँ की आधी सदी ;1913–1965 के सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य को नेतृत्व एवं दिशा प्रदान की। राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रत्येक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका में रहे पंडित बद्रीदत्त पाण्डे के बिना कुमाऊँ के यशस्वी राष्ट्रवादी संग्राम की कल्पना भी अपूर्ण है।

'कुली बेगार' आन्दोलन के इस नायक को

शत्–शत् नमन।

कुमाऊँ केसरी पण्डित बद्रीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर : एक परिचय

पावन–पयस्विनी एवं जनमानस को अपनी अविरल धाराओं से आह्लादित कर देने वाली सरयू नदी के पावन तट पर राजकीय महाविद्यालय की अवस्थापना तत्कालीन स्थानीय विधानसभा सदस्य **श्रीमती सरस्वती टम्टा जी** के अथक प्रयासों से 22 अक्टूबर सन् 1974 में हुई थी। पाँच साल पश्चात इसका स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में उन्नयन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वतन्त्रता सेनानी श्री बद्रीदत्त पाण्डे ने ब्रिटिश शासन के दौरान गुलामी की प्रतीक बनी 'कुली–बेगार' प्रथा के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष कर इस प्रथा का अन्त किया। इस साहसिक कार्य हेतु उन्हें **''कुमाऊँ केसरी''** की उपाधि से सम्मानित किया गया। कुमाऊँ में 'कुली–बेगार' आन्दोलन के प्रणेता पं0 बद्रीदत्त पाण्डे के नाम पर इस महाविद्यालय का नाम रखा गया। इस महाविद्यालय की स्थापना में स्थानीय जनता का अथक प्रयास सर्वथा सराहनीय है। भगवान ब्याघ्रेश्वर के ऐतिहासिक मंदिर स्थल की यह पावन वसुमति कत्यूरी, चंद, गोरखा, अंग्रेज आदि स्वदेशी व विदेशी शासकों की कर्मभूमि रही है। इसका इतिहास गौरवपूर्ण एवं व्यापक रहा है।

सरयू तट पर स्थित 7 हेक्टेयर भूमि पर फैला यह महाविद्यालय आज छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग दर्शक तथा पथ प्रदर्शक बना हुआ है। वर्तमान में यहाँ लगभग 2500 संस्थागत छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं। वर्तमान में इस महाविद्यालय में कला, वाणिज्य व विज्ञान तीन संकाय हैं। कला संकाय में राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, हिन्दी , समाजशास्त्र एव गृह विज्ञान विषय है एवं गृह विज्ञान के अतिरिक्त सभी विषयों में स्नात्तकोत्तर कक्षाएं संचालित है। विज्ञान– संकाय में रसायन , जन्तुविज्ञान , वनस्पति विज्ञान , भौतिकी व गणित हैं तथा सभी विषयों में स्नातक के साथ स्नातकोत्तर भी हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे कम्प्यूटर शिक्षा, योगा, कार्यालय प्रबन्धन एवं सचिवीय पद्धति आदि भी संचालित किये जा रहे हैं। महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में शोधार्थियों द्वारा शोध कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल तथा समाजशात्र विषयों में शोधार्थी पी0 एच0 डी0 हेतु पंजीकृत हैं।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर को जनवरी 2021 में सोबन सिंह जीना विश्विद्यालय अल्मोड़ा का परिसर बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

आधार भूत संरचना की दृष्टि से 7 हेक्टेयर में फैले महाविद्यालय परिसर में अनेक अकादमिक क्रिया–कलाप तथा स्वस्थ चलनों के माध्यम से छात्र विकास तथा सहायता सुनिश्चित की जाती है जो निम्नवत है–

1. **अध्यापन एवं शोध–** यह महाविद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपक्रम है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी की अत्याधुनिक तकनीकों तथा नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं पर बल दिया गया है। महाविद्यालय में अनेक शोधार्थी विभिन्न प्राध्यापकों के निर्देशन में शोधरत हैं। अनेक प्राध्यापकों के विषयगत शोध पत्र विभिन्न विषयों में ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हुये हैं। इसके अतिरिक्त, फैकल्टी सदस्यों द्वारा सेमिनार, सिम्पोजियम तथा कार्यशाला के साथ–साथ अभिविन्यास और पुनश्चर्या कार्यक्रमों में प्रतिभाग, अध्यापन एवं शोध के बुनियादी आधार को सुदृढ़ करता है। साथ ही समय–समय पर सेमिनारों, कार्यशालाओं, कवि सम्मेलन तथा आमन्त्रित विषय–विशेषज्ञों के व्याख्यानों आदि का आयोजन किया जाता है।

2. **कैरियर काउन्सलिंग एण्ड प्लेसमेण्ट सेल–** इसमें छात्रों के कैरियर के विषय में चयन, तैयारी और नियोजन सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है जिसका उद्देश्य अनिश्चितता, बेचैनी तथा भावनात्मक तनावों का निवारण करना है, ताकि वे सुदृढ़ तथा सशक्त होकर सही निर्णय ले सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों एवं व्यक्तित्व विकास के परिप्रेक्ष्य में यहां व्याख्यानों और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।

3. **पुस्तकालय–** महाविद्यालय के पुस्तकालय से स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को 03 पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के सेमेस्टर के विद्यार्थियों को विभागीय स्तर पर पुस्तक की उपलब्धता के आधार पर पुस्तकें निर्गत की जा सकेंगी।

   अ. पुस्तकें सामान्यतः एक माह के लिये निर्गत की जाती हैं। विद्यार्थी एक माह बीत जाने पर पुस्तकें बदल सकते हैं।

   ब. विद्यार्थियों को महाविद्यालय पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अदेय प्रमाण पत्र; नो ड्यूज के साथ जमा करनी आवश्यक है बिना पुस्तकें जमा किये नो ड्यूज; अदेय प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा।

   स. पुस्तकालय से पुस्तकें लेने के लिये विद्यार्थियों को स्वयं उपस्थित होना है, बिना परिचय पत्र के पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेंगी। प्रत्येक कक्षा की पुस्तकें निर्गत करने हेतु समय सारणी निर्धारित की जायेगी। विद्यार्थी निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर ही पुस्तक ले सकेगा। समय सारिणी समय–समय पर सूचना पट पर चस्पा कर दी जायेगी।

   द. शोधार्थी शोध निर्देशक की संस्तुति पर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।

4. **बुक–बैंक–** स्नातक स्तर पर बुक बैंक की सुविधा उपलब्ध है। बुक बैंक में लगभग दो हजार पुस्तके उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों को छात्र पुस्तकों के मूल्य के 10 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर निर्गत करा सकते हैं। बुक बैंक से निर्गत करने में, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है।

5. **वाचनालय–** महाविद्यालय में छात्रों एवं छात्राओं के लिये वाचनालय की व्यवस्था है, जिसमें हिन्दी व अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र तथा पत्रिकायें मंगाई जाती हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने खाली वादनों में वाचनालय में बैठकर इन पत्र–पत्रिकाओं को पढ़कर समय का सदुपयोग करें।

6. **प्रसार व्याख्यान–** इन व्याख्यानों का मुख्य उद्देश्य छात्रों में सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि करना एवं ज्ञान के प्रति अभिरुचि एवं उत्सुकता जागृत करना है। विभिन्न सामाजिक एवं लोकप्रिय विषयों में विद्वान एवं उत्सुक वक्ता प्रसार व्याख्यानों में सारगर्भित भाषणों का ज्ञान वर्धन करते हैं।

7. **एन0सी0सी0 (राष्ट्रीय कैडेट कोर)–** छात्र/छात्राऐं स्नातक स्तर पर एन0सी0सी0 में प्रवेश ले सकते हैं। वर्तमान में छात्र/छात्राओं हेतु एन.सी.सी. में 165 सीटें हैं। इसके संयोजक ले0 डॉ0 एस.एस. धपोला पूर्णकालिक एन.सी.सी. अधिकारी के रुप में कार्यरत हैं।

8. **राष्ट्रीय सेवा योजना–** स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षणेत्तर कार्यकलापों द्वारा समाज की सेवा करना है। वर्तमान में इसकी 03 इकाईयां कार्यरत है। प्रत्येक इकाई हेतु निर्धारित 100 छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर कुल 300 छात्र/छात्राओं का एन0एस0एस0 में पंजीकरण किया जाता है। स्नातक स्तर पर प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र ही इसमें प्रवेश ले सकते हैं। एन0एस0एस0 के बी0 व सी0 प्रमाण पत्रों के आधार पर बी0एड0 आदि विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यथियों को अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाता है। एन0एस0एस के प्रथम वर्ष के छात्र/छात्रायें ही बी0 प्रमाण–पत्र परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह होते हैं।

9. **रोबर्स एवं रेजर्स–** महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर रेन्जर एवं रोबर्स ग्रुप की इकाई है। इसमें संस्थागत छात्र/छात्राओं का रजिस्ट्रेशन होता है। राष्ट्रीय पर्व एवं भारत स्काउट/गाइड द्वारा निर्धारित तिथियों पर इनके द्वारा विभिन्न क्रिया–कलाप सम्पादित किये जाते हैं। समय–समय पर कैम्पों में प्रतिभाग करते हैं। रेन्जर/रोबर्स का प्राकृतिक

आपदा में विशेष सहभागिता होती है। देश एवं प्रदेश स्तरीय कैम्प में भाग लेना विशेष महत्वपूर्ण होता है।

नोट–उक्त तीन योजनाओं में से छात्र/छात्रा केवल एक योजना में भाग ले सकता/सकती है।

10. **क्रीड़ा एवं खेलकूद–** महाविद्यालय का निजी क्रीडा स्थल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इत्यादि खेलों के लिये उपलब्ध है। इन्डोर गेम्स के अन्तर्गत बैडमिन्टन आदि की व्यवस्था है। अध्यक्ष क्रीड़ा परिषद द्वारा खेलों के सुचारु रुप से होते रहने के लिए समय–समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा वर्ष में एक बार क्रीड़ा समारोह सम्पन्न किया जाता है।

11. **छात्रवृत्तियां तथा आर्थिक अनुदान– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक वर्ग** के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस हेतु सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र, पिता का आय प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना न हो, गतवर्ष उत्तीर्ण अंकतालिका यदि गैप है तो शपथ पत्र आदि के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर को जमा करेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन अवश्य प्रस्तुत कर दें। **सामान्य वर्ग के निर्धन व मेधावी छात्रों को 'निर्धन छात्र सहायता कोष' से आर्थिक सहायता दी जाती है।**

12. **छात्र संघ–** लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय छात्र संघ संविधान के अधीन प्रत्येक वर्ष छात्र संघ के चुनाव कराए जाते हैं, जिससे छात्रों में सम्प्रेषण कौशल तथा लोकतांत्रिक नेतृत्व क्षमता का व्यावहारिक अनुभवपरक सबक प्राप्त होते हैं। छात्र हितों का प्रतिनिधित्व करता छात्रसंघ उनसे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का निवारण करने हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सन्दर्भ में सभी विद्यार्थियों को सचेत किया जाता है कि छात्र संघ निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सामग्री यथा पोस्टर, दिवारों पर लिखना, स्टीकर आदि महाविद्यालय या शहर में नहीं लगाये जायेंगे। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं। यदि कोई विद्यार्थी निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

13. **सांस्कृतिक परिषद–** छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण चारित्रिक विकास में सांस्कृतिक परिषद का विशेष योगदान होता है। महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसके पदाधिकारी महाविद्यालय के नियमित छात्र–छात्रायें होते हैं। परिषद के तत्वावधान में समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

14. **विभागीय परिषदें :** स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के सभी विषयों में परिषदों का गठन किया जाता है। इन परिषदों के तत्वावधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विचार संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित अन्य पाठ्य विषयों का उपयोगी ज्ञान छात्रों को कराना भी इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य है।

15. **महाविद्यालय पत्रिका–** 'उत्तरायण' नामक महाविद्यालय पत्रिका का वार्षिक प्रकाशन महाविद्यालय परिवार की नवोदित संवेदनशील प्रतिभाओं को लेखन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु अवसर प्रदान करता है।

16. **अभिभावक शिक्षक संघ–** छात्रों एवं संस्था के उन्नयन में अभिभावकों और शिक्षकों की समान जिम्मेदारी है। इसको ध्यान में रखते हुये, अभिभावक शिक्षक संघ पूरे वर्ष अपने पाल्यों की प्रगति के विषय में शिक्षकों के साथ अभिभावकों के संवाद के मंच के रुप में कार्य करता है। प्रत्येक नये सत्र के आरम्भ में अभिभावकों को आमन्त्रित कर उनको महाविद्यालय की नवीनतम प्रगतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाता है तथा उनके नवीन सुझावों को समुचित महत्व देते हुये यथासम्भव समायोजित किया जाता है।

17. **पुरातन छात्र परिषद–** महाविद्यालय के अनेक छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों, यथा शिक्षा, चिकित्सा, इन्जीनियरिंग, प्रशासन, समाज सेवा, सैन्य सेवाओं व राजनीति के क्षेत्र में अहम स्थान बनाया है और ख्याति अर्जित की है। वर्तमान सत्र से पुरातन छात्रों की बैठक भी आयोजित की जायेगी, उनको विभिन्न आयोजित कार्यक्रमों में आमन्त्रित किया जाता है। महाविद्यालय अपने समस्त पुरातन छात्रों का उनके बहुआयामी सहयोग के लिये आभारी है।

18. **शास्ता मण्डल–** महाविद्यालय का शास्ता मण्डल परिसर में सामान्य अनुशासन सुनिश्चित करते हुये महाविद्यालय प्रशासन के सलाहकार का कार्य करता है। इसमें मुख्य शास्ता तथा अन्य सदस्य शास्ता होते हैं। अनुशासन मण्डल अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें करता है। संस्थागत छात्रों को फोटो पहचान पत्र जारी करता है। साथ ही छात्रों की समस्याओं का निवारण करते हुये जांच उपरान्त प्राचार्य को दण्डनीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भी सुझाव देता है।

19. **महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ–** इसका गठन संस्थागत छात्राओं को समुचित सुरक्षा प्रदान करने व सम्पूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है। छात्राएँ अपनी किसी भी समस्या के विषय में यहाँ सम्पर्क कर सकती हैं।

20. **एण्टी–रैगिंग समिति–** यह समिति सुनिश्चित करती है कि वरिष्ठ छात्रों द्वारा नवागन्तुक छात्रों के साथ कोई अप्रिय घटना न हो तथा उनका आचरण नवीन छात्रों के साथ एक मार्गदर्शक के रुप में रहे। इस हेतु अभिभावकों एवं छात्रों की ओर से शपथ पत्र की व्यवस्था की गयी है।

21. **कम्प्यूटर प्रयोगशाला–** महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं हेतु पूर्ण सुविधा एअर कंडीशनर व इण्टरनेट युक्त कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध है।

22. **आन्तरिक गुणवत्ता विनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC)–** राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद बैंगलूरु के परिदर्शन के आलोक में, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों में अकादमिक गुणवत्ता तथा तत्सम्बन्धी कौशल के संवर्धन, परिष्करण हेतु महाविद्यालय में उक्त प्रकोष्ठ गठित किया गया है। प्राचार्य की अध्यक्षता में अपनी नियमित त्रैमासिक बैठकों में अध्यापन, शोध तथा विस्तार के प्रबन्धन और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करता है।

23. **छात्रावास-** महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु विभिन्न छात्रावास संचालित है जिसमे सुमित्रानंदन पंत पुरुष छात्रावास एवं डॉ0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय पुरुष छात्रावास है। छात्राओं हेतु बाबू जगजीवन राम महिला छात्रावास संचालित होने की अवस्था में है।

24. **अनुसूचित जाति योजना कोचिंग विभाग-** महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओ के पूर्व प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना निशुल्क कोचिंग इकाई संचालित है।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) अध्ययन केन्द्र

कु0 के0 पं0 ब0 पा0 रा.स्ना.महाविद्यालय में उ.मु. विश्वविद्यालय (यूओयू) का अध्ययन केन्द्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय वर्ष 2010 से संचालित किया जा रहा है। यूओयू की स्थापना अक्टूबर 2005 में उत्तराखण्ड शासन अधिनियम संख्या 23 द्वारा की गयी। इस महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्र में वर्तमान में करीब 2000 विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हैं। जिनके लिये परामर्श सत्र नियमित रुप से महाविद्यालय में आयोजित किये जाते हैं। महाविद्यालय में संचालित किये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

1	Master Degree Programme	M.Sc (All Subject), M.A., M.B.A., MSW, MJMC, M. Com., Tourism, Yoga,
2	Bachler Degree Programme	B.Sc. B.com, B.A, BCA, BBA, BTM
3	P.G. Deploma Programme	Computer, Disaster Management, JMC
4	Diploma Programme / Certificate Programme	Office Management, Yoga, DPHCN, DPPFVA, Mass Media

नोट– समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश जुलाई–नवम्बर में होंगे। उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश अन्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रम के साथ भी लिये जा सकते हैं अधिक जानकारी के लिये विद्यार्थी अध्ययन केन्द्र कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पर्क सूत्र– 9410965615, 9457608564
9759252921

स्ववित्त पोषित बी.एड. पाठ्यक्रम

राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर को सत्र 2008–09 में स्ववित्तपोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हुई। एन0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम के शिक्षण का समय 10.00 से 4.00 बजे तक रखा गया है। समस्त छात्र एवं छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है।

सत्र 2015–16 से बी.एड. पाठ्यक्रम को दो वर्ष का कर दिया गया है। साथ ही प्रथम वर्ष हेतु छात्र/छात्राओं के लिये निश्चित सीटों की संख्या 50+5 (In EWS category) निर्धारित की गयी है।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर

अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अन्तर्गत वाद–विवाद, गायन, लघुनाटिका, सेमिनार, निबन्ध, पोस्टर, क्विज प्रतियोगिता इत्यादि विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है।

स्ववित्त पोषित बी.एड. संकाय(शिक्षक वर्ग)			**स्ववित्त पोषित बी.एड.** संकाय(शिक्षणेत्तर कर्मचारी)		
1	डॉ0 पंकज कुमार दुबे	विभागाध्यक्ष बी.एड.	1	श्री चंदन सिंह गढ़िया	लेखा सहायक
2	श्री अखिलेश चौहान	प्रवक्ता विज्ञान	2	श्री भूपाल सिंह मेहता	कार्यालय सहायक
3	डॉ प्रवीण कुमार	प्रवक्ता सा. अध्ययन	3	श्री रमेश कांडपाल	स्टोर कीपर
4	श्रीमती कविता मेहरा	प्रवक्ता सा. अध्ययन	4	श्री ईश्वर सिंह दानू	अनुसेवक
5	श्री प्रवीण कुमार	प्रवक्ता हिंदी	5	श्री प्रकाश सिंह	अनुसेवक
6	श्रीमती रितु	प्रवक्ता, जीव विज्ञानं			
7	श्री धर्मेंद्र बोरा	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा			
8	श्री महिपाल सिंह बोहरा	पुस्तकालयाध्यक्ष			

सामान्य नियम

1. महाविद्यालय द्वारा विभिन्न क्रिया–कलापों के सम्बन्ध में निर्गत सूचनाओं में निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
2. परिसर में शान्ति व्यवस्था बनाना और कक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न न करना विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
3. छात्र/छात्रायें अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रभारी अथवा छात्र/छात्रा अधिष्ठाता से सम्पर्क करेंगे। किसी भी परिस्थिति में छात्र/छात्रायें सीधे प्राचार्य से नहीं मिल पायेंगे।
4. महाविद्यालय संचालन हेतु समय–समय पर जारी सूचनाएँ सूचना पट पर लगा दी जाती हैं। छात्र–छात्रायें प्रतिदिन सूचना पट पर लगायी गयी जानकारी पर ध्यान दें।

5. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुये निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

5.1. महाविद्यालय परिसर, चार दिवारी तथा कक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का पोस्टर बैनर लगाना वर्जित है।

5.2. विद्यार्थियों द्वारा अपने पास अग्नेयास्त्रों को लेकर महाविद्यालय परिसर में घूमना अपराध होगा, जिसकी तुरन्त प्राथमिक सूचना दर्ज करायी जायेगी।

5.3. विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान करना, महाविद्यालय भवन के किसी हिस्से में पीक थूकना वर्जित है।

5.4. महाविद्यालय की सम्पत्ति विद्यार्थियों की अपनी सम्पत्ति है। फर्नीचर आदि की सुरक्षा करना प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व होगा।

5.5. महाविद्यालय के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय में स्वच्छता एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरुक रहेंगे।

5.6. महाविद्यालय के मुख्य द्वार के आस–पास तथा महाविद्यालय परिसर में वाहन खड़ा करना दण्डनीय अपराध होगा। प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करेंगे।

5.7. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल फोन वर्जित है।

5.8. उत्तराखण्ड शासन एवं उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अतः छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रैस कोड का पूर्णतया पालन करना अनिवार्य है, वे महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रैस में ही परिसर में प्रवेश करें, अन्यथा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार (दिनांक 22 सितम्बर 2006) छात्रसंघ पदाधिकारियों, सदस्यों और निर्वाचन प्रशासन के लिये आचार संहिता/निर्देश

1. कोई भी प्रत्याशी प्रसन्न करने, अवप्रेरण करने और अन्य कोई ऐसी गति–विधि नही करेगा, जिससे विभेद को बढ़ावा मिलता हो, अथवा पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न होता हो, अथवा विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों, धर्मो अथवा भाषाई अथवा विभिन्न छात्र समूहों के मध्य विवाद होता है।

2. जब अन्य प्रत्याशियों की आलोचना होती है तो केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्ववृत्तों और कार्यो तक सीमित होनी चाहिये। सभी प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों के निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से दूर रहेंगे, जो लोक कार्य कलापों से सम्बन्धित नहीं हैं। अन्य प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के अप्रमाणित आरोप अथवा मिथ्या वर्णन से प्रत्याशी दूर रहेंगे।

3. मत प्राप्त करने के लिये जाति अथवा साम्प्रदायिक भावना के आधार पर आग्रह नहीं किया जायेगा। परिसर के अन्दर अथवा बाहर पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिये नहीं किया जायेगा।

4. सभी प्रत्याशियों का भ्रष्टाचार का उपयोग और अपराधों से सम्बन्धित सभी गतिविधियां मतदाताओं को प्रसन्न करने अथवा अभिप्रेरणा करने, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को आतंकित करना, मतदान प्रचार के लिए छदम वेश बनाना अथवा मतदान केन्द्र से 100 मीटर के अन्दर प्रचार करना और मतदान की अन्तिम अवधि 24 घण्टे के अन्दर प्रचार करना तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र से और मतदान केन्द्र तक यातायात से ले जाना तथा लाना प्रतिषि(होगा।

5. किसी भी प्रत्याशी को प्रचार के लिए मुद्रित इश्तहार, मुद्रित पैम्पलेट ;पुस्तिकाद्ध अथवा कोई अन्य सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी, प्रचार के लिये प्रत्याशी केवल हाथ से बने हुये ऐसे इश्तहार का प्रयोग कर सकते हैं, जो विहित व्यय के अन्तर्गत ही सृजित किये गये हैं।

6. किसी भी प्रत्याशी को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अन्दर तथा बाहर जलूस निकालने अथवा जनसभा करने अथवा किसी भी तरह का प्रचार करने अथवा अधिप्रचार की अनुमति नहीं होगी।

7. बिना महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के किसी को और उनके समर्थकों को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के किसी भी सम्पत्ति को किसी भी उद्देश्य के लिये विरुपित अथवा किसी भी प्रकार से ध्वंस नहीं करने दिया जायेगा। सभी प्रत्याशी संयुक्त और पृथक रुप से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को विरुपित/विध्वंस करने के लिये दायित्वाधीन होंगे।

8. प्रत्याशी चुनाव के दौरान जलूसों और/अथवा जन सभायें कर सकते हैं, परन्तु यह कि इस प्रकार के जलूसों और जनसभाओं से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के किसी भी प्रकार से कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कार्य–कलापों में व्यवधान नहीं होना चाहिए। यह भी कि यह जलूस/जनसभा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं हो सकती।

9. प्रचार के उद्देश्य के लिये ध्वनिक्षेपक (लाउडस्पीकर) वाहन और जानवरों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।

10. निर्वाचन के दिन छात्रसंघ पदाधिकारी और प्रत्याशी करेंगे–

    क. निर्वाचन के कार्य में लगे हुये अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्ण और व्यवस्थित निर्वाचन कराने और निर्वाचन पूर्ण करने तथा मतदाताओं को बिना किसी खीज उत्पन्न किये अथवा व्यवधान पहुँचायें उनके स्वतन्त्र मतदान के उपयोग में सहयोग।

    ख. मतदान के दिन किसी भी तरल अथवा ठोस पदार्थ को पीने अथवा खाने के लिए न देंगे और न वितरित करेंगें।

    ग. मतदान के दिन किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे।

11. मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी छात्र/व्यक्ति, निर्वाचन समिति अथवा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से प्राप्त वैध परिचय पत्र के बिना निर्वाचन स्थल में प्रवेश नहीं करेगा।

12. चुनाव आयोग/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारी निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकते हैं।यदि प्रत्याशियों को निर्वाचन सम्बन्धी विशेष शिकायत अथवा समस्या हो, वे इसको पर्यवेक्षक की जानकारी में ला सकते हैं।

13. निर्वाचन सम्पन्न होने के 48 घण्टे के अन्दर सभी प्रत्याशी संयुक्त रुप से निर्वाचन स्थल की सफाई करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

14. उपरोक्त आचार संहिता के विपरीत कार्य करने में प्रत्याशी का प्रत्याशित अथवा उसका निर्वाचित पद, जैसी भी स्थिति हो, निराकृत हो सकता है। निर्वाचन आयोग/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारी, उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं।

15. उपर्युक्त रुप से वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त माननीय दण्ड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान ;धारा 153 क और अध्याय 9 क निर्वाचन सम्बन्धी अपराध भी छात्रसंघ निर्वाचन में लागू होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया

1. महाविद्यालय **में सभी काक्षाओं में प्रवेश ऑनलाइन** पद्धति **से होंगे**।
2. प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों, अन्तिम विद्यालय द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) व चरित्र निर्माण पत्र सहित प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश संस्तुत तथा हस्ताक्षर प्रमाणित करवायेंगे। मूल टी.सी. तथा चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रवेश होगा। प्रवेशार्थी के प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष अनिवार्य रुप से उपस्थित होना होगा। अनुपस्थिति की दशा में प्रवेश सम्भव नहीं होगा। मूल टी.सी. के अभाव में प्रवेश स्वीकृत नहीं होगा।
3. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश स्वीकृत कर दिया जाता है उन्हें महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर स्वीकृत प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा, तथा वरीयता क्रम में अगले प्रवेशार्थी को प्रवेश दिया जायेगा।
4. एक संकाय में प्रवेश न होने की दशा में वही प्रवेश आवेदन पत्र दूसरे संकाय के लिये प्रयोग में नहीं आयेगा। यदि किसी प्रवेशार्थी को संकाय विशेष में प्रवेश की उम्मीद नहीं और वह दूसरे संकाय में प्रवेश का इच्छुक हो तो निर्धारित तिथि से पूर्व ही उस संकाय में भी आवेदन पत्र जमा कर सकता है।
5. प्रवेश की घोषित अन्तिम तिथि के तुरन्त बाद महाविद्यालय सूचना पट पर समय सारिणी चस्पा कर दी जायेगी तद्नुसार पठन–पाठन सम्पन्न होगा।
6. प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय पत्र अपने पास सुरक्षित रखना नितान्त आवश्यक है। महाविद्यालय परिसर में बिना परिचय पत्र के प्रवेश पूर्णतया वर्जित है।
7. परिचय पत्र का दुरुपयोग रोकने के लिये इस सत्र में यह व्यवस्था की जा रही है कि परिचय पत्र खोने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी इस आशय का एक आवेदन पत्र शास्ता मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। शास्ता मण्डल द्वारा उनकी विधिवत् जांच होगी और **रुपया 30/–**

(रुपया तीस मात्र) अतिरिक्त शुल्क देने के उपरान्त ही परिचय पत्र की दूसरी प्रति निर्गत की जायेगी। किसी विद्यार्थी के पास जाली परिचय पत्र पकड़े जाने पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उस विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

8. पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश, प्रवेश प्रक्रिया तिथि बीत जाने के बाद किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। अतः छात्र/छात्रायें प्रवेश निश्चित तिथि तक अवश्य ले लें।
9. संकाय एवं विषय परिवर्तन हेतु महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।
10. किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को पुनः प्रवेश देय नहीं होगा।
11. छात्र/छात्रायें कार्य स्वयं करें। किसी भी अन्य छात्र/छात्रा के माध्यम से कार्य न करवायें।
12. विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म विद्यार्थी स्वयं भरकर जमा करना सुनिश्चित करें, किसी अन्य को देने से आपका शैक्षणिक वर्ष बरबाद हो सकता है।
13. प्रवेश हेतु स्वयं उपस्थित हों **शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित की गई तिथि तक** स्वयं अपना शुल्क **अवश्य** जमा करें। तत्पश्चात् शुल्क जमा नहीं किया जायेगा।
14. सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राऐं निर्धारित तिथि तक अपना अस्थाई प्रवेश प्राप्त कर लें। सुधार परीक्षा के बाद प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
15. स्नातक तृतीय सेम0 में प्रवेश विश्वविद्यालय से अंक तालिका प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर लेना अनिवार्य है।
16. प्रवेश हेतु प्रवेश समिति के समक्ष अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

संचालित पाठ्यक्रम

संकाय	कक्षा	विषय	उपलब्ध स्थान	न्यूनतम योग्यता	प्रवेश प्रणाली
कला (Arts)	बी.ए.	बी.ए. पथम सेमस्टर मे तीन वैकल्पिक विषय महाविद्यालय में विषयो की उपलब्धता मैरिट (योग्यता) तथा विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमावली केअनुसार आवंटित	480	इण्टरमीडिएट 10 + 2 न्यूनतम 40 प्रतिशत	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश
विज्ञान (Science)	बी. एससी.	Mathematics, Physics, Chemistry	80	इण्टरमीडिएट 10 + 2 न्यूनतम 45 प्रतिशत	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश
		Botany, Zoology, Chemistry	80		
वाणिज्य (Commerce)	बी. कॉम.	सभी अनिवार्य विषय	80	इण्टरमीडिएट 10 + 2 न्यूनतम 40 प्रतिशत वाणिज्य तथा न्यूनतम 45 प्रतिशत इण्टर कला व विज्ञान से उत्तीर्ण	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश
शिक्षा (Education)	स्ववित्त पोषित बी. एड.	सभी अनिवार्य विषय	50	स्नातक	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश

स्नातक उपाधि (सैमेस्टर प्रणाली) Graduate Degree Semester System

नोट–

1. प्रवेश सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के शिक्षा सत्र 2022–23 के प्रवेश नियमों के अनुरूप किये जायेगें।
2. स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशार्थी कोई **तीन वैकल्पिक विषय भरेंगे,** जिनमें से मेरिट के आधार पर उन्हें कोई तीन विषय आवंटित किये जायेगें।
3. स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित **वोकेशनल एवं को–करिकुलर कोर्स** वर्क पढ़ना अनिवार्य है।
4. सभी कक्षाओं में 10 % सीट EWS की अतरिक्त जोड़ी जाएंगी।

स्नातकोत्तर उपाधि (सैमेस्टर प्रणाली) (Post Graduate Degree Semester System)

संकाय	कक्षा	विषय	प्रवेश प्रणाली
कला (Arts)	**एम० ए०**	हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, गणित, समाजशास्त्र,अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश
विज्ञान (Science)	**एम० एससी०**	भौति□ विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश
		गणित	
वाणिज्य (Commerce)	**एम० कॉम०**	सभी अनिवार्य विषय	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश

पीएच० डी० शोध उपाधि (Ph.D. Research Degree)

महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से तथा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शोध उपाधि हेतु प्रवेश किये जाते हैं।

स्ववित्तपोषित व्यावसायिक कार्यक्रम (Self- Finance Vocational Programmes)

कार्यक्रम का नाम	अधिकतम स्थान	न्यूनतम योग्यता	प्रवेश प्रक्रिया	अवधि	शुल्क धनराशि में
सचिवीय पद्धति एवं कार्यालय प्रबंधन में डिप्लोमा	**40**	10 + 2 इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण	मैरिट आधार पर	1 वर्ष	4700
पी० जी० डिप्लोमा (योग एण्ड अल्टेरनेटिव थैरेपी)	**60**	स्नातक			8040

(i) कला संकाय

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विविध पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विषयों में अध्ययन हेतु प्रवेश लिया जा सकता है।

स्नातकोत्तर स्तर पर निम्न विषयों के अध्ययन - अध्यापयन की व्यवस्था है:

1. हिन्दी साहित्य
2. अंग्रेजी साहित्य
3. संस्कृत साहित्य
4. अर्थशास्त्र
5. समाजशास्त्र
6. राजनीति विज्ञान
7. इतिहास
8. भूगोल
9. गणित

सत्र 2022-23 में स्नातक प्रथम तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रवेश **नियमों** से किए जाएंगे।

महाविद्यालय में कला संकाय में संचालित विषयों का ग्रुपों में विभाजनः

Group A	B	C	D	E	F
English Litt.	Economics	Geography	Sociology	Hindi Litt.	Political science
Sanskrit Litt.	Home Science	History		Mathematics	

(ii) विज्ञान संकाय

महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में संचालित विषयों का ग्रुपों में विभाजनः

Mathematics Group		
Major Group A	Major Group B	Major Group C
Mathematics	Physics	Chemistry

Biology Group		
Major Group A	Major Group B	Major Group C
Botany	Zoology	Chemistry

स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम

निम्नलिखित में से किसी एक विषय में एम०एस०सी० कक्षा में प्रवेश लिया जा सकता है यदि वह प्रवेशार्थी द्वारा स्नातक स्तर पर पढ़ा गया होः

(i) Zoology **(ii) Botany** **(iii) Chemistry**

(iv) Mathemetics **(v) Physics**

(iii) वाणिज्य संकाय

वाणिज्य विभाग में उपलब्ध पाठ्य विषय :

स्नातक स्तर – बी0 कॉम

B.com 1st Semester		
Major Group A	Major Group B	Major Group C
Financial Accounting	Business Regularatory Framework	Business Organisation Management

स्नातकोत्तर स्तर एम०कॉम०– समस्त अनिवार्य विषय

1. इस पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में वे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होने उत्तराखण्ड बोर्ड /यू०पी० बोर्ड की इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास कर ली हो।
2. किसी अन्य विश्वविद्यालय से बी०कॉम० द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को क्रमशः बी०कॉम द्वितीय व बी०कॉम० तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु स्थान उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकता है, यदि संयोजक पाठ्य–समिति/संकायाध्यक्ष उचित जाँच के पश्चात सहमत हों कि सम्बन्धित परीक्षाओं की पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के समस्तरीय है।

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
माल रोड, अल्मोड़ा– 263601 (उत्तराखण्ड)

Soban Singh Jeena University
Mall Road, Almora- 263601 (Uttarakhand)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 पर आधारित

www.ssju.ac.in

स्नातक पाठ्यक्रमों
(बी0ए0, बी0एस–सी0, बी0कॉम0)
के लिए प्रवेश नियम व अध्यादेश
2022

प्रवेश नियम
(सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

अध्याय–1 साधारण नियम–

1–1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑनलाइन (Online) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1–2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जाऐगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1–3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी अनन्तिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए प्रवेश समितियाँ सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की वेबसाईट से आवेदनकर्ताओं (आवेदन पत्र) का आंकड़ा (Data) Excel Format में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि उपरोक्त डाटा डाउनलोन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो इसके लिए परीक्षा नियंत्रक को इमेल के माध्यम से भेजने के लिए सूचित किया जा सकता हैं। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1–4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1–5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।

2

1–6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1–7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित माहाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1–8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1–9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1—10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण—पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान/संकाय/विभाग में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1—11 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है :

1— अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2— अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3— अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत **(निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)**

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट : स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा—

(1)	महिलाऐं	30 प्रतिशत
(2)	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3)	दिव्यांग	04 प्रतिशत
(4)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता—क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1—12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days

(ii) Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Waiving of domicile requirements.

4

1–13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)–	20 अंक
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन–	20 अंक
(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई/बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन	20 अंक
(ड़) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च) अन्तर– विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
(ठ) अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक

नोट– उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1–14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित

शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1–15 (क) स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु–

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त–

1. शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में 02 वर्षों के भीतर स्नातक कक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

2. अभ्यर्थी की शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा किन्तु अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्ताकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे)।

3. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) :– यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम *नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षो की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

* नोट : नौ वर्ष में स्नातक करने वालों की यह व्यस्था NEP 2020 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही लागू होगी, अन्य विद्यार्थियों के लिए सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए नियम ही लागू होंगे।

4. भविष्य में यू0जी0सी0 अथवा एन0एच0ई0क्यू0एफ0 राज्य सरकार के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्ध में जो भी दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

1–16 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम 15 दिन (पन्द्रह दिन) के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1–17 एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में किसी एक एड–ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–6/2007 (cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1–18 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा वह अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1–19 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1–20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग संबंधी विनियम, 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

अर्हता निर्धारण के नियम

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु
(शैक्षिणक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

अध्याय–2 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम–

2–1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट/Senior Secondary (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद /यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय में 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)।

यदि दो अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक/मेरिट अंक, जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा कला/विज्ञान अथवा वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण की हों, बराबर होते हैं तो वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया/गई हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र/छात्रा पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता/चाहती है तो ऐसे छात्र/छात्रा द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा, जिसके उपरान्त ऐसे छात्र/छात्रा को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में

से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2–2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आए व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2–3 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

2–4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2–5 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2–6 (a) **For Bachelor of Science (B.Sc.) :**

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर सकेगा।

Mathematics Groups :		
Group A	**Group B**	**Group C**
Mathematics	Physics	Chemistry Statistics Computer Science Information Technology Geology Military Science

Biology Groups:		
Group A	**Group B**	**Group C**
Botany	Zoology	Chemistry Forestry Information Technology Geology Milatery Science

(b) **For Bachelor of Arts (B.A.) :**

अभ्यर्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subject) का चुनाव निम्नलिखित में से दो प्रथक–प्रथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) को निम्नलिखित समूहों से चुनेगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अलग–अलग समूहों से ही चुने जा सकेंगे।

A	B	C	D	E	F
ENGLISH LITERATURE	DRAWING AND PAINTING	GEOGRAPHY	EDUCATION	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE
KUMAUNI BHASA	ECONOMICS HOME SCIENCE	HISTORY	SOCIOLOGY		
SANSKRIT LITERATURE	PHYSICAL EDUCATION	YOGA MUSIC			
	PSYCHOLOGY ANTHROPOLOGY	MILATERY SCIENCE			

(c) **For Bachelor of Commerce (B.Com.) :**

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर सकेगा।

10

Group A	Group B	Group C
Financial Accounting	Business Regulatory Framework	Business Organistion Management
		Business Communication

वैधानिक नियन्त्रण– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

Annexure-I

प्रारूप (क)
छात्र द्वारा शपथ–पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूंगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगां/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिए गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया गया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर–

प्रति हस्ताक्षरित
(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

12

प्रारूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती ..... जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर– पिता/अभिभावक

13

अध्यादेश (**ORDINANCE**)
बी0ए0 / बी0एस–सी0 / बी0 कॉम0 पाठ्यक्रम हेतु
(शैक्षणिक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

1. परिभाषाएं–

1.1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (**Programme**)–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री यथा बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0कॉम0।

1.2 संकाय (**Faculty**)–

1.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

1.3 विषय (**Subject**)–

1.3.1 संस्कृत, हिंदी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

1.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

1.4 कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (**Course/Paper**)

1.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी / प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

1.4.2 थ्योरी और प्रेक्टिकल के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

2. मुख्य (**Major**) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर (Annexture – 1)

2.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य, आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के तीन मुख्य विषयों (Three Major Subjects) का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

2.3 बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 में चौथा माइनर इलेक्टिव विषय (Fourth Minor Elective Subject) विद्यार्थी को अपने संकाय को छोड़कर किसी भी अन्य संकाय (Other Faculty) से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

2.4 चौथा माइनर इलेक्टिव विषय / कोर्स (Fourth Minor Elective Subject) किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

2.5 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थानों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर माईनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) में परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के उपरान्त ही विषय में परिवर्तन कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

2.6 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिए बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।

2.7 माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) का चयन विद्यार्थी द्वारा अन्य संकाय से करना अनिवार्य होगा।

2.8 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आबंटित कर सकता है।

2.9 विद्यार्थी को उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव सम सेमेस्टर (द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) में करना होगा।

2.10 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए माइनर विषय/पेपर कि कक्षायें सम्बन्धित फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

2.11 विद्यार्थी अपना चतुर्थ पेपर माइनर इलेक्टिव (Minor Elective) भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाईन प्लेटफार्मों में समान क्रेडिट के पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी पूर्ण कर सकते हैं।

2.12 मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (**Open Online Course**)

2.12.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 percent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality - assured MOOC programmes offered on the SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.

2.12.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCS इत्यादि) के माध्यम से भी समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

3. कौशल विकास कोर्स (**Vocational/Skill Development Courses**) (Annexure-1)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स के प्रत्येक सेमेस्टर) में 3 क्रेडिट का एक–एक कौशल विकास कोर्स (3X4=12) क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा।

4. सह–पाठ्यक्रम (**Co-Curricular Course**) (Annexure-1)

4.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम (**Co-Curricular Course**) करना अनिवार्य होगा।

4.2 विद्यार्थी को हर सह–पाठ्यक्रम (**Co-Curricular Course**) को 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

5. शोध परियोजना (**Research Project**) (Annexure-1)

6.1 बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना करनी होगी।

6.2 बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना (Interdisciplinary) भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

6.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से भी लिया जा सकता है।

6.4 बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी तीसरे वर्ष के अंत में (छठे सेमेस्टर के अंत में) दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report /Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्याँकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर/आन्तरिक परीक्षक एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

6.5 स्नातक स्तर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण (Annexure-1)

7.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

7.2 प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।

7.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ''ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट'' के माध्यम से किये जाएगें, जिसके दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएगें।

7.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उस पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षो बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि–क्रेडिट (re-credit) अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षो के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

7.5 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

7.6 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Three Major Subject) के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

7.7 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ

लिबरल एजूकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनके स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरेक्वजिट् (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

7.8 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि–क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि–क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8. स्नातक पाठ्यक्रम में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

9. उत्तीर्ण प्रतिशत

9.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

9.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

9.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project Qualifying) है तथा इनके उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होंगे।

18

9.4 सभी विषयों में मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

9.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

9.6 सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

9.7 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्याकन मे कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नही है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

9.8 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

10. कक्षान्नोति (**Promotion**)

10.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

10.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :

विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्षो (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माईनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying Papers (सह–पाठ्यक्रम) के क्रेडिटस उत्तीर्ण कर लिये हों।

10.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नही गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

11. बैक पेपर परीक्षा

19

11.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति मे विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

11.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

11.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर, जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

11.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा कालबाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

12. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) : यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

13. SGPA एवं CGPA की गणना –

13.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जायेगी :

jth semester के लिए – SGPA (Sj) = ∑(Ci x Gi) / ∑Ci	यहाँ पर – Ci = number of credits of the ith course in jth semester Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester
GPA = ∑(Cj x Sj) / ∑Cj	यहाँ पर – Sj = SGPA of the jth semester Cj = total number of credits in the jth semester

13.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :
समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

20

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का आगणन निम्नवत् किया जायेगा :

CALCULATION OF SGPA

Subject	Course	Course Type	Credits of Paper	Internal Assessment Max. Marks 25	External Assessment Max. Marks 75	Total Max. Marks 100	Grade	Grade Points	Grade Value**
Physics	Course 1 (Th)	Major	4	12	46	58	B	6	24
	Course 2 (Pr)	Major	2	22	70	92	O	10	20
Chemistry	Course 1 (Th)	Major	4	24	65	89	A+	9	36
	Course 2 (Pr)	Major	2	23	66	89	A+	9	18
Economics	Course 1 (Th)	Major	6	16	61	77	A	8	48
History	Course 1 (Th)	Minor	4	21	60	81	A+	9	36
Personality Development	Co-curricular Course	Co-curricular	Qualifying	19	45	64	Q		
	Total		22						182
				Theory Evaluation Max marks 40	Training Evaluation Max Marks 60				
Cyber Security	Vocational Course	Skill	3	20	67	87	A+	9	27
	Grand Total		**25**						**209**

** Grade Value = Grade Point x Credit
The Semester Grade Point Average (SGPA) = Total Grade Value / Total Credits = 209 / 25 = 8.36 (In a semester)
Note : Take only two digits after decimal shall be considered in all the calculations.

CALCULATION OF CGPA

SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4
CREDIT : 25 SGPA : 8.36	CREDIT : 21 SGPA : 6.08	CREDIT : 25 SGPA : 8.90	CREDIT : 21 SGPA : 7.22

The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total Grade value / Total Credits
(In all the semester till now)

Thus, CGPA = (25 x 8.36 + 21 x 6.08 + 25 x 8.90 + 21 x 7.22) / 92 = 7.73

Hence, equivalent percentage = 7.73 x 9.5 = 73.44

21

And the **Division** will be **First**

13.3 विद्यार्थीयों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक 5.00 से कम CGPA

14. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

14.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

14.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

14.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

15. व्याख्या खंड/वैधानिक नियन्त्रण

इस अध्यादेश के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली व्याख्या के किसी भी मुद्दे के मामले में या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में, सर्वोच्च प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

22

ANNEXURE 1 स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co- Curricular	Industrial traning/ Survey/ Reserch Projrct		
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major	(Minimum Credits) for the year	(Cummulative Minimum Credits) Required for Award of Cretificate /Diploma/ Degree
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem	Own Faculty	Own Faculty	Own /Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(46) Certificate in Faculty
	II	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(92) Diploma in Faculty
	IV	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	(132) Bachelor in Faculty
	VI	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)			1(4/5/6)			1 (4)	52	(184) Bachelor (Research) In Faculty
	VIII	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	(232) Master in Faculty
	X	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4) Methodology					1 (Qualifying)	16	(248) PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph.D. Thesis		Ph.D. in Subject

FACULTY OF ARTS
SOBAN SINGH JEENA UNIVERSITY, ALMORA

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसरों, सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में
NEP- 2020 के अर्न्तगत B.A. की कक्षाओं में सूक्ष्म कौशल विपय

MINOR VOCATIONAL SUBJECTS/COURSE

कला संकाय की प्रवेश समितियाँ पँचम सूक्ष्म कौशल विषय (Fifth Vocational Courses) के लिए निम्न दिए गए विषयों में से प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक कौशल विषय (Vocational Course) को उपलब्धता के आधार पर आबंटित कर सकती हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में अलग अलग कौशल विषयों का चयन करना होगा।

S. NO.	MINOR VOCATIONAL COURSE (सूक्ष्म कौशल विषय)	CREDITS
1.	DRAWING AND COLOR STUDIES	3
2.	CRITICAL THINKING AND WRITING	3
3.	LEADERSHIP AND TEAMWORK	3
4.	FUNDAMENTALS OF COMPUTER	3
5.	FIELD STUDY TECHNIQUES AND REPORT WRITING	3

FACULTY OF SCIENCE
SOBAN SINGH JEENA UNIVERSITY, ALMORA

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसरों, सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में
NEP- 2020 के अर्न्तगत B.Sc. कक्षाओं में सूक्ष्म कौशल विपय

MINOR VOCATIONAL SUBJECTS/COURSE

विज्ञान संकाय की प्रवेश समितियाँ पँचम सूक्ष्म कौशल विषय (Fifth Vocational Courses) के लिए निम्नानुसार प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक कौशल विषय (Vocational Course) विद्यार्थी को आबंटित कर सकती हैं।

S.NO.	Minor Vocational Course (सूक्ष्म कौशल विषय)	Semester Allotted	CREDITS
1.	FUNDAMENTALS OF COMPUTERS	I SEMESTER	3
2.	BUSINESS STATISTICS	II SEMESTER	3
3.	DISASTER MANAGEMENT	III SEMESTER	3
4.	DIGITAL LITERACY AND CYBER SECURITY	IV SEMESTER	3

FACULTY OF COMMERCE & MANAGEMENT STUDIES
SOBAN SINGH JEENA UNIVERSITY, ALMORA

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसरों, सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में

NEP- 2020 के अर्न्तगत B.Com. कक्षाओं में सूक्ष्म कौशल विपय

MINOR VOCATIONAL SUBJECTS/COURSE

वाणिज्य संकाय की प्रवेश समितियाँ पँचम सूक्ष्म कौशल विषय (Fifth Vocational Courses) के लिए निम्नानुसार प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक कौशल विषय (Vocational Course) विद्यार्थी को आबंटित कर सकती हैं।

S. NO.	Minor Vocational Course (सूक्ष्म कौशल विषय)	Semester Allotted	Credits
1.	ADVERTISEMENT MANAGEMENT	B. Com. I Semester	3
2.	FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING	B. Com. II Semester	3
3.	HUMAN RESOURCE MANAGEMENT	B. Com. III Semester	3
4.	ENTREPRENEURSHIP	B. Com. IV Semester	3

SOBAN SINGH JEENA UNIVERSITY, ALMORA

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसरों, सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में

NEP- 2020 के अन्तर्गत B.A./B.Sc./B.Com. कक्षाओं में सह–पाठ्यचर्या का अनिवार्य चयन

CO-CURRICULAR STUDIES

B.A./B.Sc./B.Com.

S. NO.	CO-CURRICULAR COURSE	Semester Allotted
1.	COMMUNICATION SKILLS	I SEMESTER
2.	ENVIRONMENT STUDIES AND VALUE EDUCATION	II SEMESTER
3.	MANAGEMENT PARADIGMS FROM BHAGAVAD GITA	III SEMESTER
4.	VEDIC STUDIES	IV SEMESTER
5.	MEDITATION	V SEMESTER
6.	VIVEKANAND STUDIES	VI SEMESTER

प्राध्यापक वर्ग (टीचिंग स्टाफ)

हिंदी विभाग

1. डॉ० ललित मोहन, प्रभारी
2. डॉ० नेहा भाकुनी
3. डॉ० राजेश प्रसाद
4. श्रीमती रेखा भट्ट

अंग्रेजी विभाग

1. डॉ० जयति दीक्षित, प्रभारी
2. डॉ० बिरेंद्र सिंह दानू, नि. अ. प्रा.

संस्कृत विभाग

1. श्री महेश चन्द्र, प्रभारी
2. डॉ उमेश चंद्र जोशी

इतिहास विभाग

1. सुश्री शिखा पाण्डे, प्रभारी
2. डॉ गरिमा जोशी, नि. अ. प्रा.
3. डॉ चंद्रकांता आर्या, नि. अ. प्रा.

गणित विभाग

1. डॉ एस० एस० धपोला, प्रभारी
2. डॉ हेमलता पाण्डे
3. श्री संजीव कुमार

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ अलका कोली, प्रभारी
2. श्री ओम प्रकाश
3. सुश्री रश्मि, नि. अ. प्रा.

समाज शास्त्र विभाग

1. डॉ अनीता बिष्ट

(सम्बद्ध रा० महाविद्यालय दोषापानी)

2. श्री नरेश सिंह ग्वाल, प्रभारी
3. सुश्री चेतना, नि. अ. प्रा

राजनीतिक शास्त्र

1. डॉ संजय कुमार टम्टा, प्रभारी
2. श्रीमती आशा गोस्वामी

भूगोल विभाग

1. डॉ. भगवती नेगी, प्रभारी
2. डॉ जगवती
3. डॉ. मनोज कुमार टम्टा

वाणिज्य विभाग

1. डॉ. फखरुद्दीन राही, प्रभारी
2 .श्रीमती पूजा

भौतिक विज्ञान विभाग

1. श्री लक्ष्मण देव , प्रभारी
2. श्रीमती गीता बृथ्वाल

रसायन विज्ञान विभाग

1. डॉ. महेश चंद्र विश्वकर्मा, प्रभारी
2. श्री सुधीर जोशी, गैस्ट फैकल्टी

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ. संजय कुमार, प्रभारी

जन्तु विज्ञान विभाग

1. डॉ. दीपा कुमारी, प्रभारी
2. डॉ. अनुपमा पाण्डे

गृह विज्ञान विभाग

1. डॉ. कविता जीना, नि. अ. प्रा.

शिक्षणेत्तर श्रेणी कर्मचारी

तृतीय श्रेणी कर्मचारी

1. श्रीमती पुष्पा जोशी मु. प्र. अधिकारी (संबद्ध निदेशालय)
2. श्री विजय जोशी, प्रशासनिक अधिकारी
3. श्रीमती रश्मि पन्त, क. सहायक

प्रयोगशाला सहायक

1. श्री नितिन भूगोल
2. श्री कमल गड़िया भौतिक विज्ञान (संविदा)
3. श्री देवेंद्र सिंह वनस्पति विज्ञान (संविदा)
4. श्री. विपिन चन्द्र जंतु विज्ञान (संविदा)
5. श्री भूपेंद्र दानू रसायन विज्ञान (संविदा)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री चमन लाल (दफ्तरी)
2. श्री चंद्र दत्त पाण्डे
3. श्री गोपाल गिरी
4. श्री दिनेश चन्द्र ओली
5. श्री चंद्र सिंह
6. श्री जीवन चन्द्र
7. श्री भुवन चन्द्र (संविदा)
8. श्री गंगा सिंह भाकुनी (संविदा)
9. श्री शंकर लाल (संविदा)
10. श्री महिपाल सिंह (संविदा)
11. श्री दरपान सिंह (संविदा)
12. श्री. रामेश्वर भारती (स्वच्छक / पर्यावरण मित्र)